प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन संसद के पटल पर रखे जाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन भारत के राष्ट्रपति के प्रस्तुतीकरण हेतु तैयार किया गया है।

2009-10 से 2013-14 तक पांच वर्षों की अवधि शामिल कर प्रतिवेदन प्राकृतिक गैस की उपलब्धता, आपूर्ति, आबंटन, संचरण ढांचे की पर्याप्तता, आरएलएनजी ढांचा का विकास एवं विद्युत, उर्वरक क्षेत्र और पाईपलाईन ढांचा प्रदाताओं पर इस के प्रभाव के संबंध में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी), विद्युत मंत्रालय (एमओपी), उर्वरक विभाग (डीओएफ) तथा गेल (इण्डिया) लिमिटेड (गेल) में ''प्राकृतिक गैस की आपूर्ति तथा ढांचागत विकास'' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल करता है। इसके अलावा प्राथमिकता प्रदत्त क्षेत्रों में एपीएम प्राकृतिक गैस के उपयोग की निगनारी में एमओपीएनजी/गेल की भूमिका का विश्लेषण किया गया है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के निष्पादन लेखापरीक्षा मार्गनिर्देश 2014 के अनुसार तैयार किया गया है।

लेखापरीक्षा सूचना, अभिलेख, स्पष्टीकरण देने और सम्बन्धित अधिकारियों के साथ चर्चा करने में एमओपीएनजी, एमओपी, डीओएफ तथा गेल द्वारा दिए गए सहयोग, जिसने लेखापरीक्षा समापन को सरल बनाया, का आभार व्यक्त करता है।